

(MS)

छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 24/02/2005.

क्रमांक 1507 / डी-397/21-ब/छगग/05 कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984

(क्रमांक 66 सन् 1984) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, -

(क) इसके पूर्व विभागीय अधिसूचना क्रमांक 3423/डी-965/21-ब/छगग/04, दिनांक 7 जून, 2004 को अनुसूची-एक में यथाअन्तर्विष्ट अनुसार परिवर्तित करती है, -

अनुसूची - एक

अनु0क0	न्यायालय का नाम		मुख्यालय		क्षेत्राधिकार	
	मूल	परिवर्तित	मूल	परिवर्तित	मूल	परिवर्तित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कुटुम्ब न्यायालय रायपुर	न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर	रायपुर	रायपुर	संपूर्ण राजस्व जिला, रायपुर	राजस्व जिला रायपुर, सिविल न्यायालय, बलौदा बाजार तथा गरियाबंद की क्षेत्राधिकार को छोड़कर ।

(ख) नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट मुख्यालयों पर उनके अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए तारीख 28 मार्च, 2005 से निम्नानुसार करती है :-

46

...2...

अनुसूची - दो

अनु0क0	न्यायालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	न्यायालय प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर	(क) रायपुर (ख) अतिरिक्त बैठक का स्थान, धमतरी ।	(क) राजस्व जिला रायपुर. टीप:- वह प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर द्वारा अंतरित मामलों का विचारण करेगा । (ख) राजस्व जिला धमतरी का अतिरिक्त क्षेत्राधिकार ।
2.	न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर.	(क) रायपुर (ख) अतिरिक्त बैठक का स्थान, महासमुंद ।	(क) राजस्व जिला रायपुर टीप:- वह प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर द्वारा अंतरित मामलों का विचारण करेगा । (ख) अतिरिक्त क्षेत्राधिकार :- सिविल न्यायालय सरायपाली के क्षेत्राधिकार को छोडकर महासमुंद राजस्व जिला । सिविल न्यायालय बेमेतरा तथा बालोद के क्षेत्राधिकार को छोडकर राजस्व जिला दुर्ग ।
3.	न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग ।	दुर्ग	राजस्व जिला दुर्ग, टीप:- वह प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग द्वारा अंतरित मामलों का विचारण करेगा ।
4.	न्यायालय प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग ।	दुर्ग	राजस्व जिला दुर्ग, टीप:- वह प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग द्वारा अंतरित मामलों का विचारण करेगा ।

...3...

.....3.....

(15)

अनु०क०	न्यायालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
5	न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग ।	दुर्ग	राजस्व जिला दुर्ग टीप:- वह प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग द्वारा अंतरित मामलों का विचारण करेगा ।
6	कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर ।	बिलासपुर	सिविल न्यायालय मुंगेली तथा पेण्डारोड के क्षेत्राधिकार को छोड़कर राजस्व जिला बिलासपुर ।

### NOTIFICATION

F.No <sup>1507</sup> /D-397/XXI-B/C.G./05,- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Court Act, 1984 (No.66 of 1984), the State Government after consultation with the High Court of Chhattisgarh, -

(A) Modifies its previous Departmental Notification No.3423/D-965/XXI-B/C.G./04, dated 7th June, 2004 as contained in Schedule-I as under :-

### SCHEDULE-I

S.No.	Name of the Court		Headquarters		Jurisdiction	
	Original	Modified	Original	Modified	Original	Modified
(1)	(2)		(3)		(4)	
1. Family Court Raipur.	Court of Principal Judge, Family Court, Raipur.		Raipur	Raipur	Whole Revenue District Raipur.	Revenue District Raipur excluding the jurisdiction of Civil Courts at Baloda Bazar and Gariaband.

(49)

69/2

5

(1)

(2)

(3)

(4)

5. Court of Hind Additional  
Principal Judge, Family  
Court, Durg.

Durg

Revenue District, Durg,  
Note:-He shall try the  
cases transferred by the  
Principal Judge, Family  
Court, Durg.

6. Family Court  
Bilaspur.

Bilaspur

Revenue District, Bilaspur,  
excluding the jurisdiction  
of Civil Courts Mungeli and  
Pendra Road.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

( एम० के० तिवारी )  
अतिरिक्त

छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृष्ठांकन क०  
प्रतिलिपि:-

1507 / डी-397 / 21-ब / छ०ग० / 05.

रायपुर, दिनांक 24 / 02 / 2005

1. रजिस्ट्रार जनरल, छ०ग० उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1083/तीन-8-2/2001, दिनांक 14.02.05 के संदर्भ में,
2. उपसंचालक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव, छ०ग० की ओर छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) के आगामी अंक में अनिवार्य रूप से प्रकाशित कर उसकी 200 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

( ए० के० गोयल )  
उपसचिव

छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग